आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 4 (44)आकाशि/नि.सं./2010/ 2034 दिनांकः– 7/7/17

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2016–17 से स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित संकाय/विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:–

महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संकाय/.विषय
नार्दन इन्स्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एण्ड मैंनेजमेंट ,बलदेवबास (अलवर)।	राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय,अलवर।	पूर्व संचालित :– बी.बी.ए.।

1. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
2. संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तद्नुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा ।
3. संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात तीन सत्रों में मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तय मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
4. संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपांतरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता हैं।
5. महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप किया जायेगा।
6. संस्था द्वारा यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
7. संबंधित विश्वविद्यालय से स्टॉफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा ।
8. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/ महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।
9. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूम में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
10. संस्था सांख्यिकी पुस्तिका एवं विवरणिका प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में आयुक्तालय में जमा करायेंगी ।
11. मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की बेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
12. संस्था द्वारा एन0एस0एस/एन0सी0सी/रोवरिंग एवं रेजरिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा । इसकी सूचना समन्वयक एन0एस0एस0, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित दिसम्बर तक करवायेंगे ।
13. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2015–16 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
14. सस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
15. .मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपार्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।

उपरोक्त शर्तो की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –
1.विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2.निजी सचिव,अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3.जिला कलेक्टर, अलवर।
4.कुल सचिव, राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय,अलवर।
5.सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6.सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7.रक्षित पत्रावली ।

Northern Institute of Learning & Management
Principal

7/7/17
संयुक्त–निदेशक (नि0सं0)

19

17

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमाक : एफ 4 (2) आकाशि/अनु/08-09/2029   दिनांक 9 जून, 2008

आदेश

सत्र 2008-09 में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित शर्तो पर निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित संकाय/विषय हेतु एक वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है-

क्र. सं.	पत्रा. सं.	संचालक संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/ संकाय
1	2	ग्रुपनेट एजु० एण्ड वेरीफेयर सोसायटी अलवर	नार्दन इस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एण्ड मैनेजमेंट अलवर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	बी.बी.ए., बी.सी.ए.

1. छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2. सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक सुविधाओं एवं यू.जी.सी. योग्यताधारी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सम्बद्धक विश्वविद्यालय की होगी ।
3. संकाय/ विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तद्नुसार संख्या सीमा में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ।
4. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में निर्धारित एण्डोमेंट राशि जमा करानी होगी ।
5. संस्था को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार भूमि एवं भवन तथा स्टाफ को उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी तथा अन्य आधारभूत संरचना के कार्य भी पूर्ण करने होंगे ।
6. महाविद्यालय के लिए निर्धारित भूमि-भवन में अन्य किसी शिक्षण संस्था का संचालन नहीं किया जा सकेगा ।
7. संस्था को 30 जून, 2008 तक योग्यताधारी प्राचार्य, व्याख्याता तथा अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति करके सम्बद्धक विश्वविद्यालय के अनुमोदन सहित आयुक्तालय को सूचित करना होगा।
8. संस्था/ महाविद्यालय को यू.जी.सी. राज्य सरकार तथा बार कोंसिल द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों/ दिशा-निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी ।
9. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/ महाविद्यालय को देय नहीं होगा ।
10. आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/ महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।
11. अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि हेतु महाविद्यालय को प्रति वर्ष निर्धारित समयावधि मे ही आवेदन करना होगा ।
12. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।
13. संस्था आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेंगी ।
14. उपरोक्त शर्तो की पालना नहीं करने पर अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा ।

15. सत्र 2008–09 हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त न होने पर अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा ।

(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, अलवर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
8. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय (रजिस्टर्ड ए.डी.)
9. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली।
11. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त–निदेशक (अनुदान),
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर।